न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 67/2014
तारीख निर्णय– 11.08.2020

प्रार्थीगण :–

1. अनोप कंवर पत्नी पर्बतसिंह चम्पावत, जाति–राजपूत, निवासी–मालारी तहसील–बाली जिला –पाली
2. चन्द्रदीपसिंह पुत्र पर्बतसिंह चम्पावत, जाति–राजूपत निवासी– मालारी, तहसील–बाली जिला पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. आदाराम पुत्र भीमाराम, जाति–सरगरा निवासी–सादडी, तहसील–देसूरी जिला–पाली
2. तहसीलदार(भूमिधारी) देसूरी, जिला –पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से – वकील श्री दिनेश कुमार माली।
2– अप्रार्थी की ओर से – वकील छगनलाल गहलोत।

–: निर्णय :– **दिनांक– 11.08.2020**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि – मौजा सरहद सादडी चक –2 तहसील देसूरी जिला पाली की सीमा क्षेत्र के खसरा नम्बर 4749 ,4750, 4751, 6682/4748, कुल क्षेत्रफल 0.89 हैक्टर की भूमि प्रार्थीया अनोप कंवर के स्वामित्व हक अधिकार की विद्यमान है। प्रमाण में नगरपालिका सादडी के पट्टा क्रमांक 521 दिनांक 26.06.2013 की प्रतिलिपि पेश है। उक्त भूमि प्रार्थीया के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग की विद्यमान है।

पद संख्या 01 में वर्णित भूमि में खसरा नम्बर 4750 के उत्तर में खसरा नम्बर 4752 क्षेत्रफल 0.06 हेक्टर की कृषि भूमि व उसके आगे खसरा नम्बर 4753 क्षेत्रफल 0.4500 हेक्टर की कृषि भूमि अप्रार्थी आदाराम के हक अधिक[illegible] विद्यमान है। खसरा नम्बर 4750 एवं खसरा नम्बर 4752 की माठ पर [illegible] अलामात नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के मध्य सीमा [illegible] है। अप्रार्थी आदाराम दोनों खसरा के मध्य की माठ का सीमांकन एवं सीमाज्ञान [illegible] बिना ही कानून हा[illegible]कर जोर जबरदस्ती से मनमाफिक नीवें खोदते हुये स्थाई निमार्ण कार्य करने पर आमादा है।

पेज लगातार नम्बर 2 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:38:54 IST
Reason: SelfAttested

(2) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 67/2014 अनोप कंवर व अन्य बनाम आदाराम अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. अधिनियम............

प्रार्थीया ने सीमाज्ञान ने विवपद के निपटारे हेतु तहसीलदार देसूरी को आवेदन किया [illegible] प्रार्थी के आवेदन पर पटवारी हल्का सादडी ने मौका रिपोर्ट कर अवगत करवाया है [illegible] नाप मिलान नहीं हो रहा है तथा आदाराम दीवार का निर्माण कार्य गलत कर रहा है। [illegible] पटवारी ने निमार्ण कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया। प्रमाण में मौका फर्द दिनांक [illegible].12.2014 की प्रतिलिपि पेश है।

अतः प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि के मध्य माठ को लेकर सीमाविवाद है जो [illegible] कब्जा एवं नक्शा अनुसार मिलान नहीं हो रहा है। जिससे खसरा संख्या 4750 [illegible] 0.3900 हेक्टर भूमि का चतुर्थ दिशा नाप किया जाकर पत्थरगढी का आदेश [illegible] हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम में प्रस्तुत है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील छगनलाल गहलोत ने वकालत नामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 26.09.2017 को जवाब का अवसर समाप्त किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 भूमिधारी तहसीलदार देसूरी की ओर से जावब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सादडी चक 2 के खसरा नम्बर 4749, 4750, 4751, 682/4748 कुल क्षेत्रफल 0.89 हैक्टर नगरपालिका सादडी के नाम पर दर्ज है। सीमाज्ञान का आदेश जारी किया जा सकता है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। मौजा सरहद सादडी चक–2 तहसील–देसूरी जिला पाली की सीमा क्षेत्र के खसरा नम्बर 4749, 4750, 4751, 6682/4748 कुल क्षेत्रफल 0.89 हैक्टर की भूमि प्रार्थीया अनोप कंवर के स्वामित्व हक अधिकार की विद्यमान है। जिसमें खसरा नम्बर 4750 के उत्तर में खसरा नम्बर 4752 क्षेत्रफल 0.06 हेक्टर भूमि क मध्य पत्थरगढी एवं कायमी माठ के नहीं होने से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमाविवाद है। अतः न्यायालय की राय में वर्तमान कब्जा एवं नक्शा अनुसार मिलान नहीं हो रहा है। जिससे खसरा नम्बर 4750 क्षेत्रफल 0.3900 हैक्टर भूमि का चतुर्थ दिशा नाप किया जाकर पत्थरगढी करवाया जाना उचित है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के स्वामित्व हक अधिकार की खसरा नम्बर 4750 क्षेत्रफल 0.3900 हैक्टर एवं [illegible] नम्बर 4752 क्षेत्रफल 0.0600 हैक्टर भूमि की चतुर्थ दिशा नाप किया जाकर [illegible] पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि में दोनों [illegible] किसी की बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी [illegible] जावें। प्राथी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500/– रूपये जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 500/– रूपये संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें।

पेज लगातार नम्बर 3 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:38:54 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश (3) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 67/2014 अनवान अनोप कंवर व अन्य बनाम आदाराम अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. मू. अधिनियम.............

तहसीलदार, देसूरी को माफिक आदेश पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अलग से तहरीर जारी की जावें।

(राजलक्ष्मी गेहलोत)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 11.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:38:54 IST
Reason: SelfAttested